न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
60 / प्रा0पत्र / 2021	26.07.2021	28.10.2021

सीताराम आ0 मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:– श्री हिम्मत सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थी:– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:–

1. यह कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं0 नया 226 पुरानी 220 की ख0सं0 2071 / 1165 रकबा 0.5666 हे0, ख0सं0 2112 / 1277 रकबा 2.4281 कुल किता– 2 कुल रकबा 2.9947 वाके ग्राम देवरिया पटवार हल्का तालाब बरधा भू–अभि0 निरीक्षक क्षेत्र बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है, जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है जिसमें वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 प्रस्तुत है।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करता चला आ रहा है एवं भूमि ग्राम देवरिया में विस्थित है तथा ग्राम देवरिया की आधी से भी ज्यादा गैर खातेदारी में चली आ रही थी जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था।
3. यह कि प्रार्थी की भूमि जो चरण सं0 1 में वर्णित है का जब तहसील तालेडा में आनलाईन हुई तो उक्त भूमि का नक्शा बदल दिया गया जो कि प्रार्थी जहॉ काबिज है, वहॉ का नक्शा व प्रार्थी की भूमि ख0सं0 2071 / 1165 एवं ख0सं0 2112 / 1277 पर अंकित नही किया गया एवं दूसरी जगह का नक्शा प्रार्थी के खाते की भूमि ख0सं0 2071 / 1165 एवं ख0सं0 2112 / 1277 पर अंकित कर दिया जो कि गलत इन्द्राज हुआ।
4. यह कि एल.आर.एक्ट की धारा 136 मे यह प्रावधान किया गया है कि नक्शे एवं तरमीम में गलती हुई हो तो प्रार्थी के काबिज काश्त के आधार पर पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवाकर नक्शे एवं तरमीम की शुद्धि करवायी जा सकती है।
5. यह कि गलत नक्शे एवं तरमीम के चलते प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदारान प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है एवं इस बाबत् जब प्रार्थी के द्वारा हल्का पटवारी देवरिया से दिनांक 21.06.2021 को निवेदन किया गया कि प्रार्थी की भूमि का नक्शा एवं तरमीम शुद्धि किया जावे, तो पटवारी हल्का देवरिया के द्वारा प्रार्थी के साथ टालमटोल की गई। प्रार्थी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned with CamScanner

कि प्रार्थी के द्वारा दिनांक 21.06.2021 को ही तहसीलदार तालेड़ा से नक्शा एवं तरमीम शुद्धि के लिए निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थी की बात नही सुनी एवं प्रार्थी की भूमि के नक्शा एवं तरमीम शुद्धि के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में लगातार बना हुआ है।

7. यह कि प्रार्थी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखता है कि प्रार्थी की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि पर काबिज काश्त के आधार पर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित करें कि पुनः प्रार्थी के खातेदारी की भूमि जो प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित है पर नक्शा एवं तरमीम का शुद्धिकरण दर्ज कर अंकित करें।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खातेदारी में स्थित भूमि खाता सं0 नया 226 पुरानी 220 की ख0सं0 2071/1165 रकबा 0.5666 हे0 ख0सं0 2112/1277 रकबा 2.4281 कुल किता 2 कुल रकबा 2.9947 वाके ग्राम देवरिया पटवार हल्का तालाब बरधा भू-अभि0 निरीक्षक क्षेत्र बरुंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। भूमि पर वर्तमान में प्रार्थीगण की काबिज स्थिति को देखते हुये नक्शा एवं तरमीम शुद्धिकरण के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आनलाईन नक्शे का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा सं0 2112/1277 की तरमीम ख0सं0 1277 के मध्य में है जबकि खातेदार का मौके पर मौजूदा कब्जा ख0सं0 1277 के दक्षिण मेड पर है। इसी प्रकार ख0सं0 2071/1165 की तरमीम ख0सं0 1165 के पश्चिम मेड के बीच में है, जबकि खातेदार का कब्जा ख0सं0 1165 के उत्तर-पश्चिम मेड के पास है, जिसका नजरी नक्शा जवाब के साथ संलग्न है एवं ऑनलाईन नक्शे में पूर्व में की गई तरमीम निरस्त कर उक्त खसरे की प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है तथा जिसमें प्रस्तावित शुद्धि अनुसार ऑनलाईन तरमीम को शुद्ध करने की अनुशंषा कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और नकल जमाबन्दी खाता सं0 226 ग्राम देवरिया संवत् 2076, पटवारी मौका रिपोर्ट ग्राम देवरिया, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम देवरिया की प्रतियॉ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा खातेदारी भूमियो का राजस्व रिकार्ड के पुनरीक्षण पृविष्टयों व कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन गलत इन्द्राज होना स्वीकार किया है। पत्रावली में प्रस्तुत पेरोकार सरकार जवाब एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि का ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम अंकित होना पाया गया है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम देवरिया तहसील तालेडा की ख0सं0 2071/1165 रकबा 0.5666 हे0, ख0सं0 2112/1277 रकबा 2.4281 है0 भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं मौके पर जांच किया जाकर जांच अनुसार भूमि के रकबा की इन्द्राज दुरुस्त किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with CamScanner